लॉगिंग ए मैटर (समस्या दर्ज करना) - युवा संरक्षण

*यह दिशानिर्देश केवल 'युवा संरक्षण मामला' (Youth Protection Matter) या 'व्यवहार प्रबंधन मामला' (Behavioural Management Matter) के रूप में दर्ज मामलों पर लागू होता है।

आपको किसी व्यवहार की रिपोर्ट कब करनी चाहिए

आपराधिक मामलों या बाल संरक्षण (चाइल्ड प्रोटेक्शन) मामलों के बारे में सभी संदेह, चिंताओं या आरोपों की सूचना दी जानी चाहिए।

किसी चिंता की रिपोर्ट कैसे करें

W: www.nsw.scouts.com.au/youthprotection/log-it

P: (02) 9735 9060

E: youthprotectionteam@nsw.scouts.com.au

एक बार रिपोर्ट लॉग हो जाने के बाद, यह किसको मिलती है ?

लॉग की गई कोई भी चिंता सीधे राज्य कार्यालय में यूथ प्रोटेक्शन एंड इश्यूज मैनेजमेंट टीम के पास जाती है।

राज्य कार्यालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाने वाली कार्रवाईयाँ

ट्राइएज: यह निर्धारित करना कि आगे क्या कार्रवाई, यदि कोई हो, आवश्यक है। इसमें अक्सर निम्न चीज़ें शामिल होंगी :

- रिपोर्ट करने वाले सदस्य से संपर्क करना
- उस व्यवहार के लिए पहचाने गए गवाह के साथ संपर्क करना
- कथित व्यवहार पर अधिक विवरण एकत्र करने के लिए क्षेत्र प्रतिनिधि से संपर्क करना

एक बार रिपोर्ट का ट्राइएज हो जाने पर, आरोप की गंभीरता के आधार पर आगे की कार्रवाई इस प्रकार हो सकती है:

मामले को बंद कर दिया जाना	मामला क्षेत्र/समूह को भेजा जाना	राज्य कार्यालय	निम्नलिखित को की गई बाहरी रिपोर्टें:
यह मामला राज्य अथवा क्षेत्र की ओर से आगे कोई कार्रवाई किए बिना बंद कर दिया गया है।	• आगे की कार्रवाई के लिए • आगे कोई कार्रवाई न करने के लिए या, • रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार आगे बढ़ें और ऐसा करने में सहायता प्रदान करें	जाँच की जाए और मामले को राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाए	बच्चों के अभिभावक का कार्यालय, समुदाय और न्याय विभाग और/या एनएसडब्ल्यू पुलिस

बाहरी एजेंसियां

एनएसडब्ल्यू पुलिस: यदि मामला किसी बच्चे के प्रति आपराधिक प्रकृति के व्यवहार से संबंधित हो तो एनएसडब्ल्यू पुलिस को रिपोर्ट की जाती है।

समुदाय और न्याय विभाग (Department of Communities and Justice): यदि ऐसा संदेह हो कि किसी युवा सदस्य को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो DCJ को रिपोर्ट की जाती है। इस शोषण में शामिल हो सकते हैं: उपेक्षा, यौन, शारीरिक और भावनात्मक।

बच्चों के संरक्षक का कार्यालय (Office of the Children's Guardian): बच्चों के संरक्षक अधिनियम 2019 (NSW) [Children's Guardian Act 2019 (NSW)] के तहत परिभाषित रिपोर्ट करने योग्य आचरण आरोप या रिपोर्ट योग्य सजा से जुड़े कोई भी मामले।